राजस्थान सरकार
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग

क्रमांकः–एफ 33(1) खा.वि/प्रोक्यो/आरएमएस/2026–27 जयपुर हस्ताक्षरित दिनांक

संशोधित दिशा–निर्देश

रबी विपणन सीजन (आरएमएस) 2026–27 में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूँ क्रय हेतु जारी विभागीय समसंख्यक दिशा–निर्देश दिनांक 03.02.2026 में निम्नांकित संशोधन किये जाते है :–

1. आरएमएस 2026–27 के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूँ खरीद का कार्य दिनांक 10 मार्च, 2026 से 30 जून, 2026 तक किये जाने के निर्देश जारी किये गये थे। उक्त दिशा–निर्देशों में प्रशासनिक कारणों से आंशिक संशोधन करते हुए यह निर्देशित किया जाता है कि **प्रदेश में आरएमएस 2026–27 के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूँ खरीद का कार्य दिनांक 16 मार्च 2026 से 30 जून, 2026 तक किया जायेगा।**

2. माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार द्वारा बजट 2026–2027 के क्रम में वित्त एवं विनियोग विधेयक पर चर्चा के दौरान की गई घोषणा की पालना में राजस्थान कृषक समर्थन योजनान्तर्गत आरएमएस 2026–27 के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य रूपए 2585/– प्रति क्विंटल के अतिरिक्त गेहूँ की खरीद पर **बोनस राशि रूपए 150/– प्रति क्विंटल** का भुगतान किया जायेगा। इस प्रकार खाद्य विभाग के पोर्टल पर पंजीकरण करवा कर क्रय एजेंसीज के माध्यम से गेहूँ विक्रय करने वाले पंजीकृत किसानो को उनके जनाधार से जुड़े बैंक खाते में कुल 2735/–रूपए प्रति क्विंटल की दर से उनकी उपज का मूल्य प्राप्त होगा।

शेष दिशा–निर्देश यथावत रहेंगे।

Sd/-
(पूनम प्रसाद सागर)
अतिरिक्त खाद्य आयुक्त

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, जयपुर।
3. संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव, शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
4. उप सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, कृषि/वित्त/राजस्व विभाग, राज0, जयपुर।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग राजस्थान, जयपुर।
6. समस्त संभागीय आयुक्त/महानिरीक्षक पुलिस, राज0।
7. समस्त जिला कलेक्टर/पुलिस अधीक्षक, राज0।
8. प्रबंध निदेशक, राजफैड/तिलम संघ, राज0, जयपुर।
9. निदेशक, कृषि विपणन विभाग/बोर्ड, राज0, जयपुर।
10. प्रबंध निदेशक, राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लि. जयपुर।
11. निदेशक, राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम, राजस्थान, जयपुर।
12. वित्तीय सलाहकार, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राजस्थान, जयपुर।
13. महाप्रबंधक (क्षेत्र), भारतीय खाद्य निगम, राज0, जयपुर।
14. निदेशक, NIC, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, जयपुर।
15. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, खाद्य विभाग को भेजकर लेख है कि उक्त दिशा–निर्देश विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किया जाना सुनिश्चित करावें।
16. जनसंपर्क अधिकारी, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राजस्थान, जयपुर।
17. राज्य प्रमुख, नाफेड, जयपुर।
18. राज्य प्रमुख, NCCF, जयपुर।
19. समस्त जिला रसद अधिकारी, राज0।

Document certified by POONAM PRASAD SAGAR <AFCFOOD-RJ@NIC.IN>.

Digitally Signed by Poonam Prasad Sagar
Designation : Additional Commissioner
Date :10-03-2026 06:11:10

RajKaj Ref No.: 20936598
eSign DSC